

UPAZ010057662026



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थित: अजय कुमार शाही, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP6082)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2500/2026

नीलेश प्रजापति उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र श्री इन्द्राज प्रजापति निवासी ग्राम तमौली थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी/अभियोगी

दिनांक-25.06.2026

1- प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. आवेदक/अभियुक्त नीलेश प्रजापति की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-158/2026 अन्तर्गत धारा- 137(2), 87, 64 बी.एन.एस. थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है।

2- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है। उनके द्वारा आधार जमानत प्रार्थनापत्र पर इस बावत अंकन किया गया है तथा अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाया गया है। चूंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है, ऐसी दशा में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

3. तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-25.06.2026

(अजय कुमार शाही)

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

आजमगढ़।